तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ऊमीदेवी बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 65/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24 06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित रहा। संक्षिप्त में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्रीमती ऊमीदेवी पत्नी तुलछाराम, पता चान्दरख तहसील औसियां, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.02..20 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के फाईल आदेश क्रमांक सम/2018/2112 दिनांक 31.10.18 के सम्पूर्ण फाईल मय ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1698 दिनांक 05.03.20 को सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी औसियां) से जरिये पत्रांक 1739 दिनांक 19.06.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में इस कार्यालय के समक्ष बिन्दुवार प्रस्तुत की गई, परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 2 व 3 से संबंधित सूचना बाबत् अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	